<u>न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS</u>

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 69/2022

रजिस्ट्रेशन नं. :2022/84

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	<u>बनाम</u>	<u>अभियुक्त :–</u> 1. बलवन्त पुत्र श्री सुखलाल कलाल मैसर्स – कान्ता किराणा स्टोर, 07/14 खान्दु कोलोनी, बॉसवाडा

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011</u>

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 19–12–2022</u>

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक **25–11–2022** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **10–05–2022** को 01.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स कान्ता किराणा स्टोर, 07/14 खान्दु कोलोनी, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **बलवन्त पुत्र श्री सुखलाल कलाल** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Ghee (Brand - Dairy King) के 15 पैकेट** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **Ghee (Brand - Dairy King) के 4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Ghee (Brand - Dairy King) के 4 पैकेट** को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं [illegible]षक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी [illegible]कि. एवं स्वा. अधिका[illegible]वाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/192–193 दिनां[illegible] 26–05–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 536 दिनांक

Scanned with Oken Scanner

20–05–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Brand - Dairy King)** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड Ghee (Brand - Dairy King)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 19.12.2022 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/192–193 दिनांक 26–05–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 536 दिनांक 20–05–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Brand - Dairy King)** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड Ghee (Brand - Dairy King)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाये गए **Ghee (Brand - Dairy King)** को विक्रय करके विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **बलवन्त पुत्र श्री सुखलाल कलाल मैसर्स – कान्ता किराणा स्टोर, 07/14 खान्दु कोलोनी,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:31:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner